न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : राजवीर सिंह चौधरी, RAS

अपील संख्या 100/2018

1 दोदराम आयु 62 वर्ष पुत्र अमरसिंह जाति जाट निवासी सीथल तहसील उदयपुरवाटी जिला झुंझुनू।

अपीलांट

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

बनाम

1 बरजी आयु 58 वर्ष पुत्री अमरसिंह पत्नी रामेश्वरलाल।
2 मनोहरी उम्र 55 वर्ष पुत्री अमरसिंह पत्नी सागरसिंह समस्त जाति जाट निवासीगण बाकरा तहसील व जिला झुंझुनू।
3 सावित्री उम्र 60 वर्ष पुत्री अमरसिंह पत्नी महताब सिंह जाति जाट निवासी ग्राम केशरीपुरा तहसील उदयपुरवाटी जिला झुंझुनू।
4 गुरूदयाल उम्र 52 वर्ष पुत्र अमरसिंह जाति जाट निवासी ग्राम सींथल तहसील उदयपुरवाटी जिला झुंझुनू।
5 उप पंजियक गुढ़ा गौड़जी जिला झुंझुनू।
6 लैण्ड होल्डर जरिये तहसीलदार उदयपुरवाटी जिला झुंझुनू।

रेस्पोडेंट

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी
अधिनियम बखिलाफ आदेश दिनांक 31.08.2018
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी उदयपुरवाटी
मुकदमा नम्बर 56/2016 उनवानी दोदराम
बनाम बरजी आदि

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी भू-प्रबन्ध सीकर

उपस्थिति :

1. श्री मदनसिंह गिल, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री सुरेश शर्मा, अधिवक्ता रेस्पोडेंट
3. श्री मुकेश कुमार धानियां, अधिवक्ता रेस्पोडेंट

–निर्णय–

दिनांकः– 13-3-19

यह अपील विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी उदयपुरवाटी द्वारा मुकदमा नम्बर 56/2016 में पारित निर्णय दिनांक 31.08.2018 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि विचारण न्यायालय में प्रार्थी अपीलांट ने प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा प्रस्तुत किया। विचारण न्यायालय में दिनांक 04.03.2016 को एक पक्षीय रूप से स्थगन आदेश पारित किया। दिनांक 31.08.2018 को विचारण न्यायालय में आवेदन पर सुनवाई करते हुये प्रार्थी गुरूदयाल द्वारा विधुत कनेक्शन लेने की हद तक स्थगन से मुक्त किया। इस आदेश से व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत हुई है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय में मौका रिकार्ड की यथास्थिति प्रभावी थी मूलदावे के निस्तारण से पूर्व मौके की स्थिति को परिवर्तित किया जाना, विधुत कनेक्शन की अनुमती दिया जाना विधि सम्मत नही है। विचारण न्यायालय का निर्णय अपास्त किया जावें।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेंट ने तर्क दिया कि विवादित भूमियों का बाहमी बंटवारा चालीस पचास वर्ष पूर्व हो चुका है। इसी अनुसार मौके पर काबिज काश्त है खसरा नम्बर 171 पर प्रार्थी काबिज है, मकान बने हुये है। केवल

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर

घरेलू विधुत कनेक्शन लेना चाहता हूं अत कनेक्शन की हद तक स्थगन हटाया जावे।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्तागण उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। प्रस्तुत प्रकरण में विचारण न्यायालय द्वारा अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की हुई है। अस्थाई निषेधाज्ञा का अन्तिम निस्तारण उभयपक्ष की साक्ष्य सुनवाई के उपरान्त तीनो घटकों प्रथम दृष्टया मामला सुविधा का सन्तुलन एंव अपूरणीय क्षति के विवेचन के उपरान्त विचारण न्यायालय द्वारा किया जाना शेष है। इससे पूर्व विचारण न्यायालय द्वारा विचाराधीन आदेश से विधुत कनेक्शन हेतु दी गई छूट विधि सम्मत प्रतीत नही होती है। फलस्वरूप अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर विचारण न्यायालय द्वारा दिनांक 31.08.2018 को पारित आदेश अपास्त किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 13.11.19 को सरे इजलास सुनाया गया।

(राजवीर सिंह चौधरी)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर